न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/50/2018

अपीलार्थी
श्री सुरेश यादव
ग्राम व पोस्ट–बल्लुवास, तहसील–मुण्डावर
जिला–अलवर (राज0)–301407

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 16.04.2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 27.12.2017 के माध्यम से जे.वी.वी.एन.एल. शाखा मुण्डावर अन्तर्गत संधारित विद्युत घरेलू कनेक्शन, डिमाण्ड राशि, कनेक्शन जारी होने, मासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मुण्डावर से की गई थी।
5. आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक: 27.12.2017 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 08.03.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/1956–57 दिनांक: 13.03.18 के माध्यम तलब कर दिनांक: 27.03.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्त दिनांक को कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
8. प्रत्यर्थी पक्ष को पुनः जरिये नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई. अपील/2018/2043–44 दिनांक: 09.04.18 के माध्यम तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु तब भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु ना ही कोई उपस्थित हुआ और ना ही जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन संधारित ना होकर अन्य लोक सूचना अधिकारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मुण्डावर के क्षेत्राधीन संधारित है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है ना ही यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 27.12.2017 पर किस प्रकार विनिश्चय किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 27.12.2017 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस, स्मरण–पत्रों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो उक्त अधिनियम की भावना, उद्देश्य एवं नियमों के प्रतिकूल है। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा पूर्व में भी उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अपीलों के परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार इस न्यायालय से जारी नोटिसों पर किसी प्रकार का जवाब/प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है जो घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है।
10. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रकरण में बरती गई लापरवाही के लिए पृथक से जिला कलक्टर महोदय, अलवर को लिखा जावे।
11. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं संबंधित विभाग से बिन्दुवार अधिप्रमाणित रूप में प्राप्त कर अविलम्ब निःशुल्क ही अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे।
12. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)